न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—233 / 2018 / 223 (2018 / 00233)

1. रमेश पुत्र रामस्वरूप पुत्र स्व0 हजारी,
2. कमरूद्दीन पुत्र रामस्वरूप पुत्र स्व0 हजारी,
3. इकबाल पुत्र रामस्वरूप पुत्र स्व0 हजारी,
   समस्त जाति मेहरात, नि0 लाखीना, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामपाल पुत्र स्व0 हजारी,
2. अशरफ पुत्र हजारी,
3. श्रवण पुत्र हजारी,
   समस्त जाति मेहरात, नि0 लाखीना, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
4. श्रीमती कुसूमी पत्नि मिश्री पुत्री हजारी, जाति मेहरात, निवासी अमृतपुरा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती कोयली पत्नि सलीम पुत्री हजारी, जाति चीता, नि0 सोमलपुर, तह0 व जिला अजमेर ।
6. श्रीमती शांति पत्नि अल्लानूर पुत्री हजारी, जाति मेहरात, नि0 फतहगढ सल्ला, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. श्रीमती सूरमा पत्नि सलीम पुत्री हजारी, जाति चीता, नि0 सोमलपुर, तह0 व जिला अजमेर ।
8. श्रीमती लाखी पुत्री हजारी, जाति मेहरात, नि0 लाखीना, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 12.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 85 / 2013.

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनपुस्थित ।
3. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 8 .
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 9.

निर्णय

दिनांकः— 23.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित काश्त भूमियां मौजा ग्राम लाखीना पटवार हल्का सुआवा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हल्का नया नगर, तह0 ब्यावर जिला अजमेर में स्थित है जो जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार कुल किता 46 कुल रकबा 95—13—10 बीघा अवस्थित है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है । उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 व 7 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 (वर्तमान अपीलांटस) का 1/5 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है । उक्त अनुसार काश्त करते चले आ रहे है एवं लगान भी जमा कराते आ रहे है । क्योंकि वादग्रस्त आराजियात का विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है इसलिये वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कराया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 26.6.2015 को पारित कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 12.6.2018 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 8 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.6.2018 एकपक्षीय पारित की गबई है क्योंकि उक्त दिवस को अपीलांटस न्यायालय में उपस्थित नहीं थे एवं न ही उनके कहीं पर हस्ताक्षर है जबकि पूर्व में स्वंय विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.6.2015 व आदेशिका दिनांक 6.7.2017 में पक्षकारान की उपस्थिति में स्वंय तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किए जाने के आदेश दिए गए थे किन्तु उपरोक्त बंटवारा प्रस्ताव बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये सरन् अधी0न्याया0 द्वारा की गई सारी कार्यवाही एकपक्षीय कार्यवाही है जिसमें कहीं पर भी अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा अंतिम डिक्री भी मौके पर पक्षकारान के काबिज व हिस्से अनुसार पारित नहीं की गई है । अपीलांटस का वादग्रस्त आराजियात में हिस्सा कम कर दिया गया इसलिये अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2018 निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि स्वंय वादी द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 1 व 2 में जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार अपीलांटस का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड अनुसार माना है किन्तु अंतिम डिक्री पारित करते समय विधिवत् रूप से पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर गलत रूप से बंटवारा कर दिया । खसरा नंबर 823 में

अपीलांटस का हिस्सा 00–08–00 बीघा दर्ज कर दिया गया जो उसके हिस्से में आई आराजियात से काफी कम है तथा वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को मौके पर रोड़ के आगे की तरफ बहुमूल्य जमीन दे दी गई एवं राजस्व नियमों के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किए जाते समय यथासंभव पक्षकारान जिस हिस्से पर काबिज है उसे वही हिस्सा दिया जावेगा किन्तु अपीलांटस को अलग–थलग हिस्सा दे दिया गया जो विधिसम्मत् नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रारंभ से की गई समस्त कार्यवाही एकपक्षीय कार्यवाही है क्योंकि पक्षकारान को विधिवत् रूप से तामील नहीं हुई एवं न ही सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया । बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार, द्वारा अधी0न्याया0 को दिनांक 8.6.2016 को भिजवाये गये पत्र क्रमांक 16/1111 में अपीलांटस का 1/6 हिस्सा बता दिया गया जबकि राजस्व रिकार्ड अनुसार अपीलांटस का 1/5 हिस्सा निहित है उक्त अनुसार ही प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी किन्तु तत्पश्चात् पुनः मौका रिपोर्ट बनाये जाते समय भी गलत रूप से अपीलांटस का हिस्सा पटवारी द्वारा कम दर्ज कर दिया एवं मौके पर भी अपीलांटस को कम आराजियात दी गई है । अधी0न्याया0 ने इन तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 की समस्त कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि अधी0न्याया0 द्वारा सभी पक्षकारान को विधिवत् नोटिस जारी किये बिना, बिना सुनवाई का विधिवत् अवसर दिये ही निर्णय व डिक्री पारित की है । उक्त प्रकरण में अपीलांटस व वादी की माता शक्कू बेवा हजारी का स्वर्गवास होने के उपरांत उसके समस्त विधिक वारिसान उसकी पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाने का प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया जबकि यदि पूर्व में गलत रूप से किसी पक्षकार पर तामील होने के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही भी कर दी गई है और न्यायालय के समक्ष यह वास्तविक स्थित प्रकट हो जाती है कि पक्षकार की मृत्यु हो गई है तो उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री मे पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं राजस्व नियम 18 से 21 के तहत स्वंय तहसीलदार ने मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया एवं बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नहीं देकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.6.2018 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व नियम 18 से 21 की पालना में पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगा कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अंतिम निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष जानबूझकर अनुपस्थित रहे है । अधी0न्याया0 ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है तथा अपीलांटस एवं अन्य प्रतिवादीगण को बिना नोटिस दिये अपीलांटस की गैर मौजूदगी तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो राजस्व 18 से 21 के

विपरीत है । यह भी कथन किया है कि आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है । तहसीलदार द्वारा अधी0न्याया0 को भिजवाई गए बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अपीलांटस को सूचित किए बिना तथा उनकी अनुपस्थिति में तैयार किये गये है । उक्त बंटवारा प्रस्ताव स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर पटवारी हल्का से तैयार करवाकर भिजवाये गये है । अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि अपीलांटस का विवादित आराजियात में 1/5 हिस्सा निहित है किन्तु पटवारी हल्का ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांटस का हिस्सा कम कर 1/6 अंकित कर दिया है । अधी0न्याया0 का यह दायित्व था कि बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार स्वंय से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर प्राप्त करने के उपरांत पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2018 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.6.2018 को निरस्त किया जाता है है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सूचित कर तहसीलदार की मौजूदगी में तैयार बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर राजस्थान टिनेन्सी नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर